Skill Development Programme
For Answer Writing
Internal Security (Model Answer)

DATE : 14-Feb-2018 **TIME : 06:30 pm**

मुख्य परीक्षा

प्रश्न- **'अधिकार के बिना कर्तव्य प्रभावी नहीं हो सकता।' इस संदर्भ में आंतरिक सुरक्षा से जुड़े सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम, 1958 का संक्षिप्त परिचय देते हुए इससे जुड़े प्रमुख विवादों की चर्चा कीजिये।** (150 शब्द)

'The duties cannot be effective without powers.' In this refernce, give a brief introduction of the Armed Forces Special Powers Act (AFSPA), 1958 and discuss main controversies associated with it in relation to internal security. (150Words)

MODEL ANSWER

निर्देश :
- भूमिका में अधिकार और कर्तव्य का संक्षिप्त परिचय आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में दें।
- दूसरे पैराग्राफ में सशस्त्र बल विशेषाधिकार का संक्षिप्त परिचय दें।
- इससे जुड़े प्रमुख विवादों को बताएं।
- अंत में संक्षिप्त निष्कर्ष दें।

मुख्य परीक्षा

उत्तर- भूमिका में निम्न बातों को शामिल किया जाना चाहिए-

अधिकार के बिना कर्तव्य वैसा ही है, जैसे बिना डण्डे के सिपाही अर्थात् अधिकार हमें अपने कर्तव्य निर्वहन का मजबूत आधार प्रदान करता है। फलतः आन्तरिक सुरक्षा के संदर्भ में इसकी महत्ता और बढ़ जाती है-

सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम

1. यह आतंकवाद तथा आन्तरिक अशान्ति से निपटने के लिए सुरक्षा बलों को विशेष अधिकार प्रदान करता है।
2. यह केंद्र द्वारा घोषित किसी अशान्त क्षेत्र में सुरक्षा बलों की तैनाती इस विशेषाधिकार के साथ किया जा सकता है। (धारा 3)
3. इसके तहत संबंधित क्षेत्र में सुरक्षा बलों को बिना वारेण्ट घर, वाहन एवं सम्पत्ति की छान-बीन करने का अधिकार मिल जाता है।
4. इसके तहत सुरक्षाबलों को बिना वारेण्ट गिरफ्तारी जब्ती तथा संदेह होने पर गोली मारने का अधिकार देता है। (धारा 4)
5. किसी व्यक्ति पर संदेह होने पर असीमित समय तक अपने पास रखने का अधिकार देता है। (धारा 5)

प्रमुख विवाद

1. विशेषाधिकार का सुरक्षाबलों द्वारा दुरूपयोग।
2. बिना केंद्र की अनुमति के सुरक्षा बलों के खिलाफ जाँच का अधिकार नहीं।
3. सुरक्षा बलों पर मानवाधिकार का उल्लंघन तथा उत्पीड़न का आरोप।
4. इस विशेषाधिकार की धारा 4, 5 एवं विशेषतः धारा 6 जिसके तहत बिना केंद्र की अनुमति के सुरक्षा बलों को जाँच का अधिकार नहीं होना, मानवाधिकारों के खिलाफ है।
5. वर्ष 2011 में मनोरमा देवी बलात्कार काण्ड तथा यू.एन. द्वारा हटाने का प्रस्ताव।

* * *